



सराहनीय कार्य, जालौन पुलिस
दिनांक - 08.09.2023

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचनाएवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये आज दिनांक 08.09.2023 को कुल 04 अभियोगों में 05 अभियुक्तगणों को मान0 न्यायालय द्वारा अधिक से अधिक सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

विभिन्न मुकदमों में सजा पाये अभियुक्तगणों का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण प्रथम- थाना एट में मु0अ0सं0 62/94 (वाद संख्या – 627/02) धारा 379/411/41 भार्दवि बनाम 1. अखिलेश पुत्र तिजई अहिरवार 2. रामशंकर पुत्र नाथूराम अहिरवार निरो कस्बा व थाना एट जनपद जालौन पंजीकृत हुआ था । मा0 न्यायालय अपर सिविल जज/ ए.जे.एम. कांच, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्तगण 1. अखिलेश 2. रामशंकर उपरोक्त को दोषी पाते हुये जेल में बितायी गयी अवधि एवं 1-1 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

प्रकरण द्वितीय- थाना रेंद्र में मु0अ0सं0 156/96 (वाद संख्या – 383/02) धारा 323/504/506 भार्दवि बनाम कलू पुत्र ग्यासी राठोर निरो ग्राम क्यौलारी थाना रेंद्र जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था । मा0 न्यायालय ए.जे.एम. कांच, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त कलू उपरोक्त को दोषी पाते हुये जेल में बितायी गयी अवधि एवं 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

प्रकरण तृतीय- थाना नदीगांव में मु0अ0सं0 70/2001 (वाद संख्या – 361/2002) धारा 25 आम्सै एक्ट बनाम कढोरे पुत्र पुनू निरो कस्बा व थाना नदीगांव जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था । मा0 न्यायालय ए.जे.एम. कांच, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त कढोरे उपरोक्त को दोषी पाते हुये जेल में बितायी गयी अवधि एवं 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

प्रकरण चतुर्थ- थाना कैलिया में मु0अ0सं0 92/2001 (वाद संख्या – 1140/2002) धारा 25 आम्सै एक्ट बनाम राजेन्द्र प्रसाद पुत्र लक्ष्मी नारायन निरो मुडेरा गुदरी थाना कोतवाली झांसी जनपद झांसी के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था । मा0 न्यायालय ए.जे.एम. कांच, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त राजेन्द्र उपरोक्त को दोषी पाते हुये जेल में बितायी गयी अवधि एवं 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।